प्रेस नोट
दिनांक 11.08.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा झांसा देकर शादी करने व धर्म परिवर्तन कराने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पश्चिमी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-598/25, धारा 127(2), 115(2), 351(3), 79, 89 बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आजम हसन शेख उर्फ विनीत सिंह उर्फ बिल्टू पुत्र अकबर अली नि0 बरूईपुर साउथ 24 काजीपारा मस्जिद थाना बरूईपुर जनपद कलकत्ता पश्चिम बंगाल को बर्धमान रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.08.205 को थाना को0 नगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी थी कि विपक्षी आजम हसन शेख उर्फ विनीत सिंह उर्फ बिल्टू पुत्र अकबर अली द्वारा उसके साथ हिन्दू होने का झांसा देकर शादी की गई, तथा धर्म परिवर्तन करने से मना करने पर जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए मारापीटा व जानमाल की धमकी देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया । वादिनी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना उ0नि0 उदित कुमार वर्मा द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त आजम हसन शेख उर्फ विनीत सिंह उर्फ बिल्टू पुत्र अकबर अली को थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा टेक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर बर्धमान रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. आजम हसन शेख उर्फ विनीत सिंह उर्फ बिल्टू पुत्र अकबर अली नि0 बरूईपुर साउथ 24 काजीपारा मस्जिद थाना बरूईपुर जनपद कलकत्ता पश्चिम बंगाल ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-598/25, धारा 127(2), 115(2), 351(3), 79, 89 बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 उदित कुमार वर्मा
02. उ0नि0 अविनाश सिंह
03. का0 प्रभाकर यादव
04. का0 अमित तोमर
05. कां0 पीयूष गोस्वामी
06. म0कां0 सोनाली सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।